

मुशहरी अंचल में स्थित खासमहाल भूमि का विवरण।

द्वितीय भौगोलिक प्रक्षेत्र:- (ख) सिकन्दरपुर प्रक्षेत्र।

कडेस्टल सर्वे के अनुसार			रीविजनल सर्वे खतियान के अनुसार					
खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा (एकड़ में)	किस्म	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा (एकड़ में)	किस्म	अभयुक्ति
997	2775	145.56	मन	975	954	92.85	मन	
52	2776	05.श्रंद	परती कदीम	974	102	35.79	गंडक नदी	गंग सिकरत
	4	33.70			121	10.258	कृषि योग्य भूमि	
					एवं अन्य	9.79	अम्बेदकर नगर	अतिक्रमित
						31.63	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (सम्पूर्ण प्रक्षेत्र)	
कुल -		180.31 एकड़				180.31 एकड़		

खास महाल पदाधिकारी-सह-
भूमि सुधार उप समाहर्ता
पूर्वी, मुजफ्फरपुर।

मुशहरी अंचल में स्थित खासमहाल भूमि का विवरण।

तृतीय भौगोलिक प्रक्षेत्र:- (ग) समाहरणालय परिसर एवं वार्ड सं० 1 से 17 एवं 19 से 26

भाग-1

कडेस्टल सर्वे के अनुसार				रीविजनल सर्वे खतियान के अनुसार				
खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा (एकड़ में)	किस्म	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा (एकड़ में)	किस्म	अभयुक्ति
	73,74,77,7 6,77 एवं अन्य	7,5080	खास महाल	238,241,242, 253,254 एवं अन्य	228,583, 215,216, 581,218, 220 एवं अन्य	7,5080	खास महाल	
		.1170	केन्द्रीय सहयोग अधिकोष कार्यालय			.1170	केन्द्रीय सहयोग अधिकोष कार्यालय	
		5,8065	नगरपालिका			5,8065	नगरपालिका	
		.1680	राजकीय चिकित्सालय			.1680	राजकीय चिकित्सालय	
		.6650	जिला भूमि कार्यालय			.6650	जिला भूमि कार्यालय	
		.5270	समाहरणालय			.5270	समाहरणालय	
		.1620	बिहारा राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ			.1620	बिहारा राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ	
		1.4250	संयुक्त कार्यालय भवन			1.4250	संयुक्त कार्यालय भवन	
		1.5530	विधि एवं न्याय विभाग			1.5530	विधि एवं न्याय विभाग	
		1.5735	व्यवहार न्यायालय			1.5735	व्यवहार न्यायालय	

	3.9535	जन कार्य विभाग				3.9535	जन कार्य विभाग	
	.8865	आयुक्त कार्यालय परिसर				.8865	आयुक्त कार्यालय परिसर	
	.4225	कार्यालय उपनिदेशक शिक्षा				.4225	कार्यालय उपनिदेशक शिक्षा	
	.3040	समाहरणालय से दक्षिण स्टॉन दुकान				.3040	समाहरणालय से दक्षिण स्टॉन दुकान	
	.2780	अनुमण्डल कार्यालय				.2780	अनुमण्डल कार्यालय	
	.3550	खुदीराम बोस स्मारक				.3550	खुदीराम बोस स्मारक	
	.2850	रेड क्रॉस भवन				.2850	रेड क्रॉस भवन	
	.3780	कार्यालय वाणिज्य कर विभाग				.3780	कार्यालय वाणिज्य कर विभाग	
	6.6250	भू-बन्दोवस्त कार्यालय				6.6250	भू-बन्दोवस्त कार्यालय	
कुल -	32.9925 हे0 (यानी 81.49 एकड़)					32.9925 हे0 (यानी 81.49 एकड़)		

खास महाल पदाधिकारी-सह-
भूमि सुधार उप समाहर्ता
पूर्वी, मुजफ्फरपुर।

मुशहरी अंचल में स्थित खासमहाल भूमि का विवरण।
प्रथम भौगोलिक प्रक्षेत्र:- (क) पुरानी डी0एम0 साहब की कोठी।

भाग-1

कडेस्टल सर्वे के अनुसार			रीविजनल सर्वे खतियान के अनुसार					
खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा (एकड़ में)	किस्म	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा (एकड़ में)	किस्म	अभयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3382		691	433	.1460	परती	
		3383			242 / 1166क	.0015	मकान खास	
		3384			ख	.0430	बारी	
		3386			629 / 1128	.0045	मकान फुस	
		608 अंश			697 / 1169	.0410	गढ़ा	
		2255			503 क	.0045	मकान फुस	
		2256			ख	.0215	मकान फुस	
		2257			ग	.0145	मकान फुस	
		163			घ	.0835	मकान पोख्ता	
		41			ड़	.0050	सहन	
		809			च	.0705	सहन	
		2			छ	.1175	सहन	
		713			ज	.0035	मकान पोख्ता	
		714			झ	.3075	मकान पोख्ता	
		649			ञ	.2375	पोखर	
		654			अ	.0185	मकान पोख्ता	
		712			ठ	.7205	सहन	

647					166	.0020	मकान खास	
650					243	.0175	मन पानी	
कुल -	4.8043 (यानी एकड़)	11.86			243 / 1146	.0195	मन पानी	
					254	.0020	मकान खपड़ाफोस	
					235 क	.0050	मकान खास	
					ख	.0045	मकान खास	
					ग	.0380	मकान	
					घ	.0615	परती	
					ड़	.0145	रास्ता	
					च	.0180	मकान पोख्वा	
					छ	.3340	परती	
					ज	.0190	बारी	
					झ	.0125	मकान पोख्वा	
					ञ	.0050	मंच	
					ट	.6825	परती	
					ठ	.0055	मकान खपड़ाफोस	
					ड	.0375	मकान खपड़ाफोस	
					ढ़	.0135	मकान खपड़ाफोस	
					184 क	.0055	मकान पोख्वा	
					167	.0025	भीठ	
					542 / 1159	.0015	मकान पोख्वा	
					178 / 1167	.0040	गढ़ा	
					1	.0565	भीठ	
					511 / 1157	.0010	मकान पोख्वा	

खास महाल भूमि का संक्षिप्त विवरण

**खास महाल भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में – 101.932 (251.88 एकड़)
(क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+)**

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	स्थान	कुल रकवा
(क)	बन्दोवस्त योग्य खास महाल की अवशेष भूमि	(i) सिकन्दरपुर स्थित खाली मैदान।	2.92 एकड़
		(ii) सिकन्दरपुर स्थित कृषि योग्य भूमि।	10.25 एकड़
योग –			13.17 एकड़
(ख)	खास महाल की सर्वजनिक उपयोग की भूमि जो किसी विभाग विशेष के बन्दोवस्ती योग्य नहीं है।	(i) शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम।	4.93 एकड़
		(ii) टाउन क्लब के पश्चिम वरोपन हेतु संरक्षित रकवा।	0.05 एकड़
योग –			4.98 एकड़
(ग)	खास महाल की वैसी भूमि जो विभिन्न विभागों के साथ बंदोवस्त की गई है। (सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर सहित)	1. दूरदर्शन (सिकन्दरपुर)	5.50 एकड़
		2. पुलिस क्वार्टर (सिकन्दरपुर)	1.16 एकड़
		3. पंचायत भवर (सिकन्दरपुर)	0.12 एकड़
		4. आयुक्त स्टॉफ क्वार्ट (सिकन्दरपुर)	1.01 एकड़
		5. आयकर विभाग (सिकन्दरपुर)	1.00 एकड़
		6. जिला विज्ञान केन्द्र, (सिकन्दरपुर)	1.32 एकड़
		7. बिजली पावर केन्द्र, (सिकन्दरपुर)	0.28 एकड़
		8. पर्यटन विभाग (पुरानी बस स्टैंड ईमली चट्टी)	0.98 एकड़
		9. आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय हेतु (पुरानी बस स्टैंड ईमलीचट्टी)	1.00 एकड़ पूर्ण (अतिक्रमित)
		10. जिला भूमि सुधार कार्यालय	0.6650 हे०
		11. बिहार राज्य सहायोग क्रय-विक्रय संध	0.1620 हे०
		12. संयुक्त कार्यालय भवन	1.4250 हे०
		13. अनुमण्डलीय कार्यालय	1.6130 हे०
		14. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र एवम् सूचना केन्द्र	0.1750 हे०
		15. भू-बन्दोवस्त कार्यालय	0.6250 हे०
		16. केन्द्रीय सहायोग अधिकोष कार्यालय	0.1170 हे०
		17. समाहरणालय	0.5270 हे०

		18. खास-महाल बिहार सरकार (महावीर स्थान, विशिष्ट लेखक संध एवं आदि)	1.7380 हे०	
		19. मुखतारखान, नजारत खाना, आरक्षी क्लब हवालात, वन्दीगृह कोर्ट बैरक आदि।	2.0490 हे०	
		20. आयुक्त कार्यालय परिसर	2.4820 हे०	
		21. शहीद खुदीराम बोस स्मारक	0.3550	
		22. जिला परिषद् कर्मचारी विश्राम गृह	2.1435 हे०	
		23. स्वास्थ्य (उत्क्रमित यक्षमा निदान केन्द्र)	0.2040 हे०	
		24. जिला अनुसचिवीय कर्मचारी संध	0.0645 हे०	
		25. वार्षिज्य कार्यालय	0.3780 हे०	
		26. शिक्षा उपनिदेशक कार्या०	0.4225 हे०	
		27. व्यवहार न्यायालय	1.5735 हे०	
		28. विधि एवं न्याय विभाग	1.5530 हे०	
		29. नगरपालिका कार्यालय	0.4010 हे०	
		योग -	18.673 हे०	46.14 एकड़
			यानी	कुल योग
			46.14 एकड़	58.51 एकड़
(घ)	खास महाल की लीज की भूमि।	1. महिला शिल्प कला भवन वर्ष 1995 में की गई नापी के अनुसार महिला शिल्प कला भवन की रकवा तीन संस्थानों के अनौपचारिक कब्जे में पाया गया (i) म०शि०कला० महाविद्यालय - 5.18 एकड़ (ii) म०शि० कला उच्च विद्या० - 4.13 एकड़ (iii) म०शि० कला उच्च विद्या० - 0.37 एकड़ (iv) महाविद्यालय स्थित पोखड़ा - 1.29 एकड़ कुल - 10.97 एकड़		10.97 एकड़
		2. भारत पेट्रोलियम द्वारा एल०के० बोस		
		3. भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी (मुज शाखा)		0.57 एकड़
		4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (अवर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-6/खा० म० मुज० 3/03/290) (6) रा० दिनांक-25.02.04 के आदेश के आलोक में लीज एकरारनामा /नवीकरण की बिहार/झारखण्ड राज्य के प्रभाजन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई स्थागित रखा जाय।)		5.11 एकड़
		5. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम , सिकन्दरपुर		12.05 एकड़
		6. टाउन क्लब, मुज०।		0.50 एकड़

		योग—	29.49 एकड़
(ड)	खास महाल की भूमि जो बन्दोवस्ती हेतु प्रस्तावित है। (प्रस्ताव विभाग को प्रेषित है।)	1. बालमी सेवा संस्थान हतु सिकन्दरपुर में ।	5.27 एकड़
		2. विशेष बाल गृह निर्माण हेतु। (कल्याण विभाग के द्वारा) सिकन्दरपुर में।	1.00 एकड़
		योग —	6.27 एकड़
(च)	खास महाल की जल प्लावित भूमि	1. सिकन्दरपुर मन	92.85 एकड़
		2. बुढ़ा गडक गदा जगतगत पानग खास महाल का भूमि	35.79 एकड़
		योग —	128.64 एकड़
(छ)	खास महाल की अतिक्रमित भूमि।	1. अम्बेदकर नगर, सिकन्दरपुर।	9.79 एकड़
(ज)	एक वर्षीय अनुज्ञप्ति पर विभिन्न दुकानदारो को दी गई खास महाल भूखण्ड का विवरण	1. कम्पनी बाग अवस्थित खास महाल का भू-खण्ड । 2. समाहरणालय से दक्षिण खास महाल भूमि पर अवस्थित स्टॉल/दुकान (एक वर्षीय अनुज्ञप्ति पर) (0.3040 हेक्टेयर यानि 0.75 एकड़)	0.28 एकड़ 0.75 एकड़
		योग —	1.03 एकड़

कुल योग :- (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज) =

251.88 एकड़

समाहरणालय परिसर स्थित खासमहाल भू-खण्ड का विवरण

क्रमांक	न.नि.वार्ड संख्या	खाता संख्या	खाताधारी का नाम	खेसरा सं०	रकबा (हेक्टेयर में)		अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
10	8	238	जिला भूमि सुधार कार्यालय	228 क	0.1575		
				ख	0.0060		
				ग	0.0030		
				घ	0.0145		
				ङ	0.0130		
				च	0.4710		
					0.6650	0.6650	
11	8	241	बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ	583 क	0.0125		मुजफ्फरपुर खाद डीपो
				ख	0.1065		
				ग	0.0025		
				घ	0.0310		
				ङ	0.0095		
					0.1620	0.1620	
12	8	242	संयुक्त कार्यालय भवन	215 क	0.1125		
				ख	0.3650		
				ग	0.0230		
				घ	0.0295		
				ङ	0.4525		
					0.9825	0.9825	
				242 क	0.4405		
				ख	0.0020		
					0.4425	0.4425	कुल- 1.4250 हे०
13	8	253	अनुमण्डलीय कार्यालय	216 च	0.1040		
				छ	0.1685		
				ज	0.1905		
				झ	0.8770		
					1.3400	1.3400	
		254		581 क	0.1775		
				ख	0.0130		
				ग	0.0790		
				घ	0.0005		
				ङ	0.0030		
					0.2730	0.2730	कुल- 1.6130 हे०
14	8	253	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र एवं सूचना केन्द्र	216 क	0.0510		
				ख	0.0540		
				ग	0.0550		
				घ	0.0100		
				ङ	0.0050		
					0.1750	0.1750	
15	8	254	भूबन्दोबस्त कार्यालय	230 क	0.0115		
				ख	0.0990		

				ग	0.5145		
					0.6250	0.6250	
16	8	231	केन्द्रीय सहयोग अधिकोष कार्यालय	587 क	0.0650		
				ख	0.0250		
				ग	0.0120		
				घ	0.0150		
					0.1170	0.1170	
17	8	239	समाहरणालय	222 क	0.2450		
				ख	0.2640		
				ग	0.0025		
				घ	0.0155		
					0.5270	0.5270	
18	8	253	खासमहाल बिहार सरकार	218 क	0.0805		
				ख	0.4110		
				ग	0.0055		
				घ	0.0045		
				ङ	0.0125		
				च	0.0175		विशिष्ट लेखक सेंघ
				छ	0.3600		
				ज	0.1500		
				झ	0.0080		महावीर स्थान
				ञ	0.0030		
				ट	0.0010		कुँआ
				ठ	0.0010		
				ड	0.0160		
				ढ	0.2960		
				ण	0.3705		
				त	0.0010		
					1.7380	1.7380	
19	8	253	खासमहाल बिहार सरकार (मुखतारखाना नजारत, आरक्षी क्लब, हवालात, बन्दी गृह, कोर्ट बैरक आदि)	220 क	0.0075		
				ख	0.0065		
				ग	0.0020		
				घ	0.0220		
				ङ	0.0070		
				च	0.0080		
				छ	0.0190		
				ज	0.0190		
				झ	0.0855		
				ञ	0.0080		
				ट	0.0090		
				ठ	0.0540		
				ड	0.0060		
				ढ	0.0010		

				ण	0.0150		
				त	0.0735		
				थ	0.0175		
				द	0.0090		
				घ	0.0075		
				न	0.0545		
				प	1.5550		
				फ	0.0010		
				ब	0.0550		
				भ	0.0005		
				म	0.0010		
				य	0.0025		
				र	0.0025		
					2.0490	2.0490	
20	8	246	आयुक्त कार्यालय परिसर	543 क	0.2275		
				ख	0.0110		
				ग	0.0045		
				घ	0.0040		
				ङ	0.0950		
				च	0.0150		
				छ	0.0135		
				ज	0.0730		
				झ	0.0045		
				ञ	0.0110		
				ट	0.0740		
				ठ	0.0325		
				ड	0.0360		
				ढ	0.2850		
					0.8865	0.8865	
		254		235 क	0.0140		
				ख	0.0090		
				ग	0.6345		
					0.6575	0.6575	
				238	0.0045	0.0045	
				239	0.1240	0.1240	
				576	0.0020	0.0020	
				577	0.3360	0.3360	
				578	0.0155	0.0155	
				579	0.0370	0.0370	
				247	0.2850	0.2850	
				206	0.0095	0.0095	
				232 क	0.0030		
				ख	0.0530		
					0.0560	0.0560	
				233	0.0075	0.0075	
				234 क	0.0400		
				ख	0.0125		
				ग	0.0015		

				घ	0.0070		
					0.0610	0.0610	कुल- 2.4820 हे०
21	8	254	खुदी राम बोस स्माकर	244 क	0.0295		
				ख	0.3255		
					0.3550	0.3550	
22	8	253	जिला परिषद कर्मचारी विश्राम गृह	226 क	0.0345		
				ख	0.8300		
				ग	0.0310		
				घ	0.0100		
				ङ	0.0050		
				च	0.0065		
				छ	0.0035		
				ज	0.1440		
				झ	0.0050		
				ञ	1.0620		
				ट	0.0115		
				ठ	0.0005		
					2.1435	2.1435	
23	8	253	उत्कर्मित यक्षा निदान केन्द्र	226 ड	0.0310		
				ढ	0.1730		
					0.2040	0.2040	
24	8	253	जिला अनुसचिवीय कर्मचारी संघ	582 क	0.0095		
				ख	0.0295		
					0.0390	0.0390	
				584	0.0255	0.0255	कुल- 0.0645 हे०
25	8	254	कार्यालय वाणिज्यकर विभाग	585 क	0.0115		
				ङ	0.1105		
				च	0.0155		
				छ	0.1580		
				ज	0.0035		
				झ	0.0240		
				ञ	0.0550		
					0.3780	0.3780	
26	8	254	कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक	208 क	0.3275		
				ख	0.0345		
				ग	0.0120		
				घ	0.0010		
				ङ	0.0340		
				च	0.0015		
				छ	0.0110		
				ज	0.0010		
					0.4225	0.4225	
27	8	244	व्यवहार न्यायालय	211 क	1.2140		

				ख	0.0665		
				ग	0.0810		
				घ	0.0680		
				ङ	0.1440		
					1.5735	1.5735	
28	8	245	विधि एवं न्याय विभाग	213 क	0.0045		
				ख	0.3000		
				ग	0.0020		
				घ	0.0015		
				ङ	0.0840		
				च	1.1610		
					1.5530	1.5530	
29	8	232	नगरपालिका कार्यालय	211/608 क	0.0120		
				ख	0.0095		
				ग	0.3515		
				घ	0.0230		
				ङ	0.0050		
					0.4010	0.4010	
कुल- 18.6730 हे० यानि 46.14 एकड़							
ज(2)	8	254	समाहरणालय से दक्षिण खासमहाल भूमि पर अवस्थित स्टॉल/दुकान (एक वर्षीय अनुज्ञप्ति पर)	224 क	0.0105		
				ख	0.1315		
				ग	0.0100		
				घ	0.0730		
				ङ	0.0790		
					0.3040	0.3040	यानि 0.75 एकड़

खास महाल – कृषि योग्य भूमि

वार्ड सं०	खाता सं०	खाताधारी का नाम	खेसरा सं०	रकबा (हेक्टेयर में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2	975	बिहार सरकार राजस्व विभाग	121	0.1185	
			123	0.0480	
			214	0.0155	
			215	0.3200	
			216	0.0560	
			217	0.0245	
			274	0.2520	
			279	0.0810	
			278	0.0795	
			752 / 1900	0.0345	
			752 / 1901	0.0060	
			807 / 1902	0.0375	
			809 / 1903	0.0620	
			810 / 1904	0.0435	
			811 / 1905	0.0185	
			812 / 1906	0.0175	
			813 / 1907	0.0080	
			814 / 1908	0.0205	
			815 / 1909	0.0460	
			751	0.0950	
			846	0.0135	
			886	0.0360	
			809	0.0110	
			866	0.6460	
			852 (क)	0.0045	
			(ख)	0.0035	
			867	1.2060	
			286	0.0600	
			288	0.1140	
			281	0.0620	
			282	0.0465	
			283	0.0440	
			285	0.4700	
			कुल –	4.1010	हे०
अर्थात् 10 एकड़ 25 डीसमल					

खास महाल – गंडक नदी की भूमि

वार्ड सं०	खाता सं०	खाताधारी का नाम	खेसरा सं०	रकबा (हेक्टेयर में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2	975 एवं 974	बिहार सरकार राजस्व विभाग	102	1.0000	
			58	0.0140	
			1159	0.0320	
			523	0.0155	
			1168 क	0.0150	
			ख	0.0065	
			1136	0.0110	
			1331	0.0875	
			1423	0.0123	
			1487 / 1871	0.3950	
			810	0.0560	
			64	0.0355	
			1485 / 1955	0.0190	
			1511	0.0380	
			1513	0.0225	
			1514	0.0120	
			1515	0.1495	
			740	0.5660	
			749	0.2160	
			217 क	0.0245	
			ख	0.0945	
			ग	0.0085	
			घ	0.0030	
			च	0.0230	
			छ	0.0085	
			1138	0.0100	
			737	0.0710	
			739	0.0170	
			750	0.0330	
			1150	0.0085	
			1149 क	0.0120	
			ख	0.0005	
			1139	0.0075	
			1801	0.0840	
			1146	0.0060	
			741	0.1540	

			745	0.0065	
			746	0.0180	
			747	0.0070	
			748	0.0120	
			744	0.0120	
			1114 क	0.0100	
			ख	0.0115	
			1735	0.0085	
			1119	0.0150	
			1122	0.0040	
			1135	0.0075	
			1151 क	0.0010	
			ख	0.0730	
			ग	0.0025	
			घ	0.0025	
			169 / 1891	0.0045	
			974	0.1215	
			1022	0.0390	
			1185	0.0225	
			1310 क	0.0600	
			ख	0.0315	
			951	0.2215	
			1775 / 1893	0.0315	
			1782 / 1884	0.0085	
			1785 / 1885	0.0010	
			1797 / 1886	0.0375	
			1825	0.0445	
			1839	0.0450	
			1770	0.0275	
			1778	0.0195	
			1759	0.0070	
			1771	0.1770	
			1668	0.0185	
			1724	0.0140	
			957 / 2011	0.0140	
			165	1.4404	
			243 / 1146	0.0195	
			277	1.0000	
			1501	1.0220	
			1500	0.1433	
			229	0.5035	
			903	0.1830	

			1529 क	0.0040	
			ख	0.3700	
			886	0.4935	
			930	0.2185	
			931 क	0.3120	
			ख	0.0335	
			1837	0.1880	
			935	0.1080	
			923	0.1805	
			924	0.5960	
			922 ख	0.5610	
			925	1.1185	
			926	0.1135	
			928	0.0210	
			929	0.0710	
			1689	0.5800	
			1690	0.1920	
			891	0.0075	
			894 ख	0.0180	
			895	0.0340	
			896 क	0.0365	
			897	0.0205	
			899	0.0255	
			898 ग	0.0460	
			900	0.0650	
			901	0.0465	
			902 ग	0.1765	
			909	0.1020	
			905 क	0.0320	
			कुल -	14.4937 हे०	
अर्थात् 35 एकड़ 79 डीसमल					

खास महाल - सिकन्दरपुर मन की भूमि

वार्ड सं०	खाता सं०	खाताधारी का नाम	खेसरा सं०	रकबा (हेक्टेयर में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2	975	बिहार सरकार राजस्व विभाग	954	7.8550	
			957	0.8070	
			978	0.0045	
			979	0.0050	
			868	6.1325	
			869	0.1185	
			846	0.2150	
			961	2.2720	
			943 क	0.0240	
			ख	0.0105	
			ग	0.0215	
			घ	0.0015	
			ङ	0.3655	
			944 क	0.0115	
			ख	0.0105	
			ग	0.0100	
			घ	0.1285	
			945	0.0280	
			946	0.0180	
			947	1.8132	
			956	0.1195	
			692	0.8425	
			1930	0.1090	
			1506	0.1340	
			1508	0.0745	
			1512	0.0375	
			33	0.4620	
			34	0.1170	
			36	0.2670	

			38	0.0620	
			39	0.0620	
			40	0.0755	
			949	0.0185	
			953	0.1605	
			960	1.6972	
			951 / 1894	0.1690	
			37	0.0237	
			43	0.1240	
			50	0.1180	
			52	0.1125	
			54	0.2915	
			68	0.0080	
			41	0.0705	
			42	0.0810	
			44	0.0707	
			253	0.0495	
			299	0.0885	
			9 / 606	0.0310	
			52 / 612	0.0615	
			55 / 613 क	0.0790	
			ख	0.0307	
			82 क	0.0295	
			ख	0.0018	
			45	0.1870	
			46	0.4715	
			165 / 1125	1.0315	
			47	0.0755	
			731 / 1897	0.0630	
			738 / 1898	0.0290	
			974	0.0140	
			982	0.0145	

			983	0.0325	
			1159 / 1890	0.0265	
			1023 / 1893	0.1380	
			715 / 1899	0.2015	
			1024	0.1150	
			1074	1.9985	
			952 / 2009	0.0440	
			1113 क	0.0205	
			ख	0.0005	
			ग	0.0060	
			घ	0.0470	
			880 / 1895	0.3760	
			350	0.1275	
			980	0.0045	
			1159	0.0320	
			523	0.0155	
			1168 क	0.0150	
			ख	0.0065	
			927	4.0310	
			1090	0.0890	
			721	0.1100	
			722	0.0840	
			723	0.3144	
			729	0.0035	
			730	0.0120	
			1075	2.1350	
	252	बिहार सरकार राजस्व विभाग	253	0.0495	
			299	0.0885	
			कुल -	37.5412 हे०	
अर्थात् 92 एकड़ 85 डीसमल					

खास महाल भूमि - एक परिचय

खासमहाल (Government Estate) का तात्पर्य वैसी जमीनों से है जो सरकार की निजी संपत्ति व्यक्तियों के महाल, जिसे सरकार ने अपनी सीधे प्रबंधन में ले लिया हो। सरकारी विभाग के अधीन के जमीनों को छोड़कर शेष परती भूमि जो सरकार में निहित हो चुकी है, वह भी खासमहाल के अन्तर्गत आता है।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के पारित हो जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 13 के आलोक में राज्य के सभी निजी भू-संपदा और भू-धृतियाँ राज्य में निहित हो गयी हैं सम्पत्ति सरकार के निदेश के आलोक में पूर्व के सरकारी महाल तथा अधिनियम द्वारा सरकार में निहित भू सम्पदा और भू-धृतियाँ का एक जैसा प्रबंधन खास महाल मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों के तहत किया जाता है।

मुजफ्फरपुर जिला एवं खास महाल

मुजफ्फरपुर जिले में पूर्व के सरकारी महाल का कुल रकवा-251.88 एकड़ है जो मुख्यतः शहरी क्षेत्र कचहरी परिसर सिकन्दरपुर तथा बनारस बैंक चौक के पास (पुरानी डीम साहब की कोठी के नाम से मशहुर स्थान) स्थित है इसमें 92.85 एकड़ रकवा मन-जल क्षेत्र है।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम-1950 के धारा 13 के आलोक में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सरकार में निहित भू-धृतियाँ, गैरमजरूआ, खास भूमि का रकवा लगभग 87 एकड़ है उक्त भूमि का प्रबंधन भी पूर्व के सरकारी महाल के अनुकूल किया जाना है।

शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र में खास महाल की भूमि उचित प्रबंधन हेतु वर्ष 1966 में सरकार के पत्रांक-8/खा0म0नीति0-9/96-2884/रा0 दिनांक-18.11.1996 द्वारा उक्त भूमि के प्रबंधन हेतु पूर्व की गठित सभी समितियों के निरस्त करते हुए समाहर्ता महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक खासमहाल परामर्शदाता समिति का गठन किया गया है। यह समिति खास महाल की भूमि के पर्यवेक्षण/लिज नवीकरण/अवतरण/प्रयोजन -परिवर्तन/खास महाल की मूल्यांकन /अतिक्रमण से रक्षा/खास महाल सरकारी भूमि के आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजन आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपने बहुमूल्य परामर्श से जिलाधिकारी-सह-समिति अध्यक्ष को समय-समय पर अवगत कराती है।

राजस्व विभाग के पत्रांक खा0म0 विविध/95-213/रा0 दिनांक-29.01.1996 के आलोक में मुजफ्फरपुर जिले में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर खासमहाल पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वाहन करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित पूर्व के सरकारी खास-महाल की भूमि के प्रबंधन का विवरण :-

मुजफ्फरपुर जिले में पूर्व के सरकारी "खास महाल" भूमि का कुल रकवा-251.88 एकड़ है। इसमें 92.85 एकड़ भूमि मन-जल क्षेत्र तथा 35.79 एकड़ भूमि सिकन्दरपुर के नजदीक बूढ़ी गंडक नदी/किनारे में अवस्थित है।

सिकन्दरपुर मन एवं अन्य जल प्लावित क्षेत्र को छोड़कर शहर में अवस्थित शेष सरकारी खास महाल की भूमि का कुल रकवा-123.24 एकड़ है, जिसपर आयुक्त कार्यालय , समाहरणालय परिसर, कम्पनीबाग स्थित पार्क व्यवहार न्यायालय आदि महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान अवस्थित है। सिकन्दरपुर में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम , दूरदर्शन केन्द्र आयुक्त स्टाफ क्वार्टर

आदि लगभग 13.17 एकड़ भूमि खाली मैदान एवं कृषि योग्य भूमि आदि मुजफ्फरपुर जिले की महत्वपूर्ण खास महाल की भूमि के रूप में चिन्हित है।

समाहरणालय स्थित खास महाल की भूमि पर बिहार गावरमेन्ट इस्टेट (खास महाल) मैनुअल की नियम के अन्तर्गत 302 लोगों को (वर्ष 1990-91) से अस्थायी दुकान हेतु एक वर्दीय अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई है। जिससे वार्षिक आय लगभग- 8,05,834.00 रूपये सरकार की आय अपेक्षित है।

बिहार खासमहाल मैनुअन के नियम -29 तहत कचहरी कम्पाउन्ड में अवस्थित खास महाल की भूमि पर दी गयी स्टॉलों की अनुज्ञप्ति की विवरण

क्रमांक	क्षेत्र का विवरण	दुकानों की संख्या	दुकानदारो के पास बकाया राशि	वर्ष 1986 से निर्धारित ग्राउन्ड रेट प्रति वर्गफीट
1.	निबंधन कार्यालय परिसर	59	380716.00	18 एवं 20 रू० प्रतिवर्गफीट
2.	स्टेदान रोड	23	255460.00	25 रू० प्रतिवर्गफीट
3.	महेन्द्र मार्ग रोड	62	1388850.00	25 रू० प्रतिवर्गफीट
4.	कम्पनीबाग	52	199000.00	18 रू० प्रतिवर्गफीट
5.	संयुक्त भवन रोड में उत्तर एवं दक्षिण	38	221715.00	18 रू० प्रतिवर्गफीट
6.	मेखतारखाना रोड से उत्तर एवं दक्षिण	10	112672.00	18 रू० प्रतिवर्गफीट
7.	पिउन क्वार्टर से दक्षिण	9	143160.00	18 रू० प्रतिवर्गफीट
8.	स्टेट बैंक रोड	3	24910.00	18 रू० प्रतिवर्गफीट
9.	आयुक्त कार्यालय रोड उत्तर दक्षिण	24	307539.00	18 रू० प्रतिवर्गफीट
10.	पुराना बस स्टैड (कपूरी मार्ग)	22	273963.00	18 रू० प्रतिवर्गफीट
कुल		302	3507985.00	यह राशि वर्ष 2007-08 तक बकाया राशि दें।

जिला राजस्व प्रशाखा (समाहरणालय, मुजफ्फरपुर)

पत्रांक...../भू0सु0

दिनांक.....

प्रेक्षाक,

अपर समहार्ता,

मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

राजस्व भूमि सुधार विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

विदाय :- खास महाल भूमि का लीच नवीकरण नीतिगत निर्णय होने तक स्थानीय रखने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-495(6)/रा0 दिनांक-17.04.08 एवं पत्रांक 533 (6) रा0 दिनांक-06.05.08।

महोदय,

उपर्युक्त विदाय से संबंधित प्रासांगिक पत्रों के संबंध में सादर सूचित करना है कि निदेशानुसार वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत खास-महाल की भूमि के सर्वेक्षण हेतु तीन जाँच दल का गठन किया गया। सर्वेक्षणोपरान्त सम्बन्धित टीम द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिससे सम्बन्धित अन्तरित समेकित प्रतिवेदन संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षणोपरान्त-मुजफ्फरपुर जिले में मात्र मुशहरी अंचल में ही पूर्व से चिन्हित खास महाल भूमि का रकवा-251.88 एकड़ के विरुद्ध 272.77 एकड़ भूमि खास

महाल भूमि के रूप में सम्बन्धित सर्वेक्षण टीम द्वारा पहुँचान की गई है जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	कैडस्टेल सर्वे के अनुसार रकवा (एकड़ में)	आर०एस० सर्वे के अनुसार पूर्व में चिन्हित रकवा	टार०एस० सर्वे के अनुसार सर्वेक्षण टीम द्वारा पहुँचान की गई खासमहाल रकवा (एकड़ में)
1.	सिकन्दरपुर क्षेत्र	180.31	180.31	180.31
2.	पुराने डी०एम० साहेब की कोठी	11.86	10.97	10.97
3.	स्माहरणालय परिसर	81.49	60.60	81.49
	कुल -	273.66	251.88	272.77

विदित हो कि कैडस्टेल सर्वे में “खासमहाल” भूमि नाम से कोई सरकारी भूमि दर्ज नहीं है, तथापि तौजी एवं तौजी के “बरबरदा पंजी” के “आसामी” कॉलम में दर्ज गैरमजरूआ, केसरेहिन्द (जो वर्तमान के बिहार सरकार के कब्जे में है।) आदि के आधार पर कैडस्टेल सर्वे के समय खासमहाल की भूमि चिन्हित की गई है।

कैडस्टेल सर्वे एवं आर०एस०पी० सर्वे में खासमहाल में पाई गई अन्तर रकवा के संबंध में जाँच कराई जा रही है। जाँचोपरान्त शीघ्र ही पूर्ण प्रतिवेदन भवदीय सेवा में समर्पित कर दी जाएगी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
पूर्वी, मुजफ्फरपुर।
सह-खास महाल पदाधिकारी।

विश्वासभाजन
अपर समाहर्ता
मुजफ्फरपुर।

खास महाल की लीज भूमि का विवरण/विश्लेषण।

मुजफ्फरपुर नगर निगम स्थित खासमहाल की कुल- 29.94 एकड़ भूमि 6 (छः) लीजधारियों को दी गई, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	लीज धारियों का नाम	रकवा (एकड़ में)	लीज प्रारंभ की तिथि	लीज समाप्ति की तिथि	अभियुक्ति
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, मुज०	5.11	16.04.1993	15.04.1963	सरकार के अवसर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ,बिहार के ज्ञापांक-290/(6)/रा० दिनांक-25.02.04 के आदेश के आलोक में लीज एकरारनामा/नवीकरण की बिहार एवं झारखंड की आपसी दायित्वों का बंटवारा तक मुज० तथ परिवहन ईकाई को परिसम्यक से बेदखल नहीं करने का निदेश प्राप्त है।
2.	महिला शिल्प कला भवन , मुज०	10.97	25.06.1975	24.06.2005	महिला शिल्प कला भवन की भूमि पर व्यापक पैमाने पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण वाद प्रारंभ है। वाद समाप्ति पश्चात् लीज नवीकरण हेतु आगे की कार्रवाई प्रारंभ की दी जाएगी।
4.	भारतीय रेडक्रॉस सोसाईटी, मुज०	0.57	15.05.1978 08.01.1990	14.05.2008 07.01.2020	0.36 डी० भूमि। 0.21 डी० भूमि । अद्यतन राशि जमा है।
5.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, मुज०	12.05	26.01.1981	25.10.2011	वर्ष 1993-94 से बकाया राशि वसूलनीय है। मुज० क्षेत्रीय विकास प्रधाधिकारी समाहत हो गया है। लीज एकरारनामा पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। कार्यालय पत्रांक-319/अनु० भू०सु० दिनांक-17.03.08 द्वारा नगर

					आयुक्त , मुज0 नगर निगम मुज0 को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर से पूर्ण रूपेण से स्वामित्व से बंचित किया गया है तथा जिला प्रशासन के तहत किया गया है।
6.	भारत पेट्रोलियम द्वारा एल0के0 बोस मुज0	0.29	01.02.1992	31.07.2007	लीज एकरारनामा करने हेतु नोटिस करने हेतु निर्गत किया गया है।

इन सभी छः लीज तथा कुछ अन्य खास महाल की भूमि पर विचारणीय विन्दु अपेक्षित है, जो निम्न प्रकार है :-

(1) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, मुज0 :- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से बकाया राशि लगभग दो करोड़ वसूलने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में समाहर्ता महोदय के स्तर से आदेदा अपेक्षित है।

(2) महिला दिाल्प कला भवन :- लीज नवीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। लीज की भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु वाद दायर कर कार्रवाई की जा रही है। प्राधानाचार्य , महिला शिल्प कला भवन, उच्च विद्यालय को स्मार देते हुए लीज एकरारनामा जमा करने का निदेश दिया जा सकता है।

(3) टाउन क्लब :- दिनांक- 31.3.1987 से टाउन क्लब का प्रबंधन सीधे समाहर्ता के स्तर से खास महाल मैनुअल के विभिन्न प्रावधान के तहत किया जा रहा है। सम्प्रति इस भूमि को जिला सक्षारता समिति को अनौपचारिक रूप से उपलब्ध कराई है। समाहर्ता महोदय मुजफ्फरपुर सौन्दर्यीकरण के क्रम में जिला गोपनीय प्रशाखा के ज्ञापांक-1202/गो0, दिनांक-26.03.08 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, ताकि उक्त टाउन क्लब का सौन्दर्यीकरण हो जाए एवं भूमि किसी अन्य अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं कर लिया जाए। समाहर्ता महोदय के स्तर से निबंध अपेक्षित है।

(4) भारतीय रेड क्रॉस, मुजफ्फरपुर :- सम्प्रति भारतीय रेडक्रास शाखा, मुज0 द्वारा सरकार द्वारा लीज स्वीकृति शर्तों के विकरित भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। संस्था द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर भवन का निर्माण कर भारतीय स्टेट बैंक तथा दुकान को भाड़ा पर देकर राजस्व अर्जन किया जा रहा है। जो बिहार सरकार का अप्राप्त है। यह सरकार द्वारा स्वीकृत लीज

के शर्तों का उल्लंघन है, तथा खास महाल मैनुअल के प्रावधान के तहत व्यवसायिक उपयोग करने के कारण संस्थान की लीज व्यवसायिक दर पर नवीकृत किये जाने के संबंध में समाहर्ता महोदय अपेक्षित निर्णय लेना चाहेंगे या वैकल्पिक रूप से सरकारी प्रावधान के आलोक में खासमहाल की भूमि पर स्थित उक्त दुकानों का खुली डाक से उपाबंटन की कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाना युक्तियुक्त होगा, ताकि सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकें। इस सन्दर्भ में भी समाहर्ता महोदय से आवश्यक निदेश अपेक्षित है।

(5) भारत पेट्रोलियम द्वारा एल0 के0 बोस :- लीज एकरारनामा करने हेतु नोटिस दिया गया है। पुनः स्मार देते हुए आदेश दिया जा सकता है कि यदि लीज एकरारनामा की प्रति 15 दिनों के अन्दर जमा नहीं की जाती है, तो सरकार को उनके लीज रद्द करने हेतु भी समाहर्ता महोदय के स्तर से आवश्यक निदेश अपेक्षित है।

(6) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम :- जिला पदाधिकारी के पत्रांक- 319/अनु0 भू0सु0 दिनांक-17.03.08 के द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का प्रबंधन सीधे जिला प्रशासन के स्तर से किया जाता है। यद्यपि (साई) स्पोर्ट्स ऑथेरिटी ऑफ इण्डिया को स्टेडियम अनौपचारिक रूप से प्रबंधन हेतु उपलब्ध कराई यगी है। तथापि इस संदर्भ में लीज पर उपलब्ध कराने हेतु समाहर्ता महोदय का निर्णय अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि स्टेडियम में निमित्त दुकानों को उपाबंटन एवं तत्संबंधी राजस्व प्राप्त के संबंध में भी समाहर्ता महोदय के स्तर से आवश्यक निदेश अपेक्षित है।

1. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय हेतु उपाबंटित खासमहाल की

भूमि :- समाहरणालय परिसर स्थित खाता नं0- 253, 254, खेसरा नं0- 204 अश, 246 अंश कुल रकवा-1.00 एकड़ भूमि जिला पदाधिकारी, मुज0 के पत्रांक-973/सा0 दिनांक:- 7.06.1989 से क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, मुज0 को कार्यालय हेतु उपलब्ध कराया गया है। सम्प्रति उक्त भूमि पर पूर्ण रूपेण अतिक्रमण है। अंचल अधिकारी, मुशहरी, को उक्त वादों की

2. शीघ्र निष्पादन हेतु निदेशित जमीन अपेक्षित है।

3. शहीद खुदी राम बोस स्टेडियम :- वर्ष 1987 से स्टेडियम सीधे जिला प्रशासन के प्रबंधन में है। स्टेडियम के रख-रखाव तथा उसमें निर्मित दुकानों के उपाबंटन एवं प्राप्ति राजस्व पर भी समाहर्ता महोदय के स्तर से निर्णय अपेक्षित है।
4. सिकन्दरपुर स्थित कृषि योग्य भूमि का प्रबंधन :- सिकन्दरपुर स्थित कृषि योग्य भूमि 10.25 एकड़ के प्रबंधन एवं तदनुसार राजस्व प्राप्ति पर भी समाहर्ता महोदय के स्तर से निर्णय अपेक्षित है।
4. (जिला परिषद् द्वारा समाहरणालय स्थित खास महाल का भूमि का अनाधिकृत तरीके से व्यवसायिक उपयोग के संबंध में) :- समाहरणालय परिसर के दक्षिण में खास महाल भूमि खाता संख्या-253, खेसरा नं0-226 क से ठ तक कुछ रकवा- 2.1435 हेक्टर (5.29 एकड़) जिला परिषद् को जिला परिषद् कर्मचारी विश्राम गृह के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जिला परिषद् द्वारा बिना सरकार के अनुमति के उक्त भूमि पर बहुत बड़ा मार्केट का निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग किया गा है। जिला परिषद् के उक्त कार्य हेतु स्पष्टीकरण एवं उक्त भूमि की व्यवसायिक लगान वसूलने हेतु समाहर्ता महोदय के स्तर से निर्णय अपेक्षित है।
5. कम्पनीबाग स्थित पार्क प्रिन्स ऑफ वाल्स गार्डन अंश भाग :- वर्ष 1974 से कम्पनीबाग स्थित प्रिन्स ऑफ वाल्स गार्डन (अंश भाग) सीधे तौर पर जिला प्रशासन के प्रबंधन में है। उक्त भूमि को अतिक्रमण से बचाव एवं सरकारी राजस्व प्राप्ति हेतु पार्क को व्यवसायिक उपयोग हेतु समाहर्ता महोदय के स्तर से वांछित निदेश अपेक्षित है।
6. मुजफ्फरपुर नगर निगम के अन्तर्गत आनेवाले गैरमजरूआ खास भूमि खास महाल मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रबंधन के संबंध में :- बिहार स्टेट मैनुअल के नियम -2 (टपप) तथा बिहार भूमि सुधार अधिनियम के धारा-13 के तहत नगर निगम के अन्तर्गत आनेवाले गैरमजरूआ खास भूमि प्रबंधन भी खास महाल मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना है। मैनुअल के नियम-18 के आलोक में खास महाल की प्रत्येक भूमि की भौतिक निरीक्षण एवं अतिक्रमण संबंधी प्रतिवेदन प्रति वर्ष खास महाल पदाधिकारी के स्तर से समाहर्ता महोदय को अवगत कराया जाना है। उक्त नियम

के तहत खास महाल सम्पदा पंजी कार्यालय में उपलब्ध है। मगर भूमि सत्यापन तथा अतिक्रमण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के अन्तर्गत ऐसी भूमि लगभग 87 एकड़ है। इसके सत्यापन हेतु अंचलाधिकारी , मुशहरी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अमीन/कर्मचारियों की टीम का गठन अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर के स्तर से कार्यालय ज्ञापांक-389/भू0सु0 दिनांक-12.04.08 की गई है। सत्यापन टीम द्वारा उक्त सत्यापन कार्य को दिनांक-02.05.08 से 22.05.08 के बीच किया गया है।

खास महाल की भूमि मुख्यतः मुटाहरी अंचल में अवस्थित है। विशेषतः सिकन्दरपुर मन स्थित भूमि एवं पुराने डी0एम0 साहेब के कोठी के नाम से बनारस बैंक चौक के पास स्थित भूमि काफी बहुमूल्य है। उक्त भूमि पर कई भू-माफियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में स्वत्व वाद भी दायर की गई है। अंचल अधिकारी, मुशहरी के स्तर से वाद में अपेक्षित अनुधावन (Pursue) नहीं किया गया है। परिणामतः टाईटल सूट संख्या:- 82/91 में अपेक्षित अनुधावन नहीं करने के कारण सरकार बहुमूल्य भूमि से बंचित ही चुकी है, जिसमें अबिलम्ब सरकार की ओर से अपील दायर किया जाना अपेक्षित है। राजस्व विभाग के पत्रांक- EL 11.1064/55.4447.LR दिनांक-23.08.1955 के आलोक में खास महाल स्थापना खतियान/रेन्ट रॉल सम्बन्धित भूमि सम्बन्धित हल्का में सन्निहित हो चुकी है। खास महाल का भूमि से सम्बन्धित सरकारी अधिवक्ता से यथाशीघ्र सम्पर्क स्थापित कर खास महाल का भूमि से सम्बन्धित सभी वादों की विवरणी प्राप्त कर अपील दायर करने या लम्बित वादों में अबिलम्ब तथ्य विवरणी प्रस्तुत करें, ताकि प्रतिशपथ पत्र दायर करने या वाद के अनुधावन (Pursue) में अपेक्षित निर्णय लिया जा सकें।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

पूर्वी -सह-

खास महाल पदाधिकारी,

मुजफ्फरपुर।